उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 09/2022/160प्र0स0/92-2-2022-04ई-फाइल/2022

लखनऊ :: दिनांक:: 19 मई 2022

कार्यालय-ज्ञाप

श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ का रामपुर स्थानान्तरण के फलस्वरूप अपना चार्ज अति विलम्ब से देकर उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने, शासनादेशों में निहित व्यवस्था के विपरीत जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ के निर्माण कार्यो का सम्पादन करने, मनमाने ढंग से कार्य करने एवं सरकारी सेवक आचरण नियमावली का उल्लंघन करने के लिये श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता के विरूद्ध निदेशालय के आदेश सं0-1555 दिनांक 20.07.2018 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-अलीगढ को जॉच अधिकारी नामित करते हुये मुख्यालय लखनऊ से सम्बद्ध किया गया। जॉच आख्या, बचाव उत्तर, अभिकथन एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता को बिना विभागीय अधिकारियों की अनुमति के जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ (डूडा) के कार्यो का सम्पादन करने के लिये दोषी पाये जाने के निमित्त निदेशालय के आदेश सं0-2246 दिनांक 16.10.2018 द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु "परिनिन्दा प्रविष्टि" का दण्ड देते हुये संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्तकरते हुये मुख्यालय की गयी सम्बद्धता समाप्त कर प्रखण्ड-रामपुर में तैनात किया गया।

उक्त दण्डादेश दिनांक 16.10.2018 के विरूद्ध अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ के पत्रांक-1632 दिनांक 27.09.2019 के माध्यम से प्राप्त श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता के प्रत्यावेदन दिनांक 24.09.2019 उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली के नियम-11(2) एवं (4) में उल्लिखित प्राविधान अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी को संबोधित न होने तथा कालबाधित होने के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-390 दिनांक 21.01.2020 द्वारा प्रत्यावेदन निरस्त कर निस्तारित किया गया।

2- एक अन्य प्रकरण में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो के निरीक्षण में पायी गयी अनियमितताओं के लिये श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता के विरूद्ध निदेशालय के पत्रांक-जी-363 दिनांक 22.07.2019 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण निर्गत करते हुये अपना उत्तर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में श्री विपिन कुमार, अवर अभियन्ता द्वारा अपना उत्तर दिनांक 08.08.2019 को उपलब्ध कराया गया। अपचारी अवर अभियंता पर लगाये गये आरोप एवं तत्क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण के परीक्षणोपरान्त निर्माण कार्यो में शिथिल पर्यवेक्षण के दृष्टिगत निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1505 दिनांक 19.11.2019 द्वारा श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता को कार्य विशेष के लिए "विशेष प्रतिकूल-प्रविष्टि" देते हुये प्रश्नगत प्रकरण समाप्त किया गया।

उक्त दण्डादेश दिनांक 19.11.2019 के विरूद्ध श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 को संबोधित पुनर्विचार प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2019 के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि पूर्व में इनके द्वारा उपलब्ध कराये गये उत्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में उल्लिखित तथ्यों के अतिरिक्त अन्य कोई नवीन तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है, वरन पुन: उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है। अतएव श्री विपिन कुमार अवर अभियंता द्वारा प्रस्तुत पुनर्विचार प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2019 में कोई नवीन तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत न करने के दृष्टिगत प्रत्यावेदन पर विचार किया जाना औचित्यपूर्ण न पाते हुये निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप सं0-2003 दिनांक 21.01.2020 द्वारा निरस्त करते हुये प्रत्यावेदन दिनांक 09.12.2019 निस्तारित किया गया।

3- अपचारी अधिकारी, श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ द्वारा उपर्युक्त दण्डादेशों के क्रम में शासन के समक्ष उपलब्ध कराये गये द्वितीय अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2022 (02 पत्र) के सम्यक परीक्षणोपरान्त श्री विपिन कुमार के द्वितीय अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2022 को स्वीकार करते हुए शासन के पत्र दिनांक 13.04.2022 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-12 में विहित प्राविधानों के अनुसार श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता के द्वितीय अपीलीय प्रार्थना पत्र में उल्लिखित कथनों का तथ्यात्मक परीक्षण कराये जाने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को निर्देशित करते हुये स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये।

4- नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.10.2018 एवं 19.11.2019 द्वारा क्रमश: प्रदान की गयी परिनिन्दा प्रविष्टि व विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि के विरूद्ध प्राप्त श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ के द्वितीय अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2022 में उल्लिखित कथनों/अभिलेखों तथा निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 29.04.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सहित आख्या के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो की जॉच जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा गठित टीम ने की थी, जिसमें कार्य को संतोषजनक पाया गया था। इसी प्रकार प्रखण्ड-मेरठ से रामपुर स्थानान्तरण के फलस्वरूप अपना चार्ज अति विलम्ब से देकर उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने, शासनादेश में निहित व्यवस्था के विपरीत जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ के निर्माण कार्यो का सम्पादन करने, मनमाने ढंग से कार्य कराने एवं सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन आदि करने हेतु श्री विपिन कुमार उत्तरदायी नही है क्योंकि उनके द्वारा निदेशालय के आदेशानुसार ही उच्चाधिकारियों के आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करते हुये जिला नगरीय विकास अभिकरण, मेरठ के कार्यो का सम्पादन किया गया था। श्री विपिन कुमार को जिलाधिकारी, मेरठ के आदेश दिनांक 01.11.2014 द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ के कार्यो के साथ-साथ डूडा मेरठ द्वारा कराये गये निर्माण कार्यो का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायित्व सौंपा गया था, जिसकी जानकारी तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ को भी थी।

अत: उक्त के दृष्टिगत नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के स्तर से कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.10.2018 एवं 19.11.2019 द्वारा क्रमश: प्रदान की गयी परिनिन्दा प्रविष्टि व विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि के संबंध में प्राप्त श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ के द्वितीय अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 03.02.2022 में उल्लिखित कथनों/ अभिलेखों तथा निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र दिनांक 29.04.2022 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपलब्ध करायी गयी संस्तुति सहित आख्या पर पुनर्विचार करते श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता को प्रदान की गयी परिनिन्दा प्रविष्टि व विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि को एतदद्वारा समाप्त किया जाता है।

अपीलीय अधिकारी की ओर से

अनुप कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

संख्या-09 /2022/160प्र0स0(1)/92-2-2022 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।

3- अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-मेरठ।

4- श्री विपिन कुमार, अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।